

बस्टर्ड संरक्षण का अगला चरण

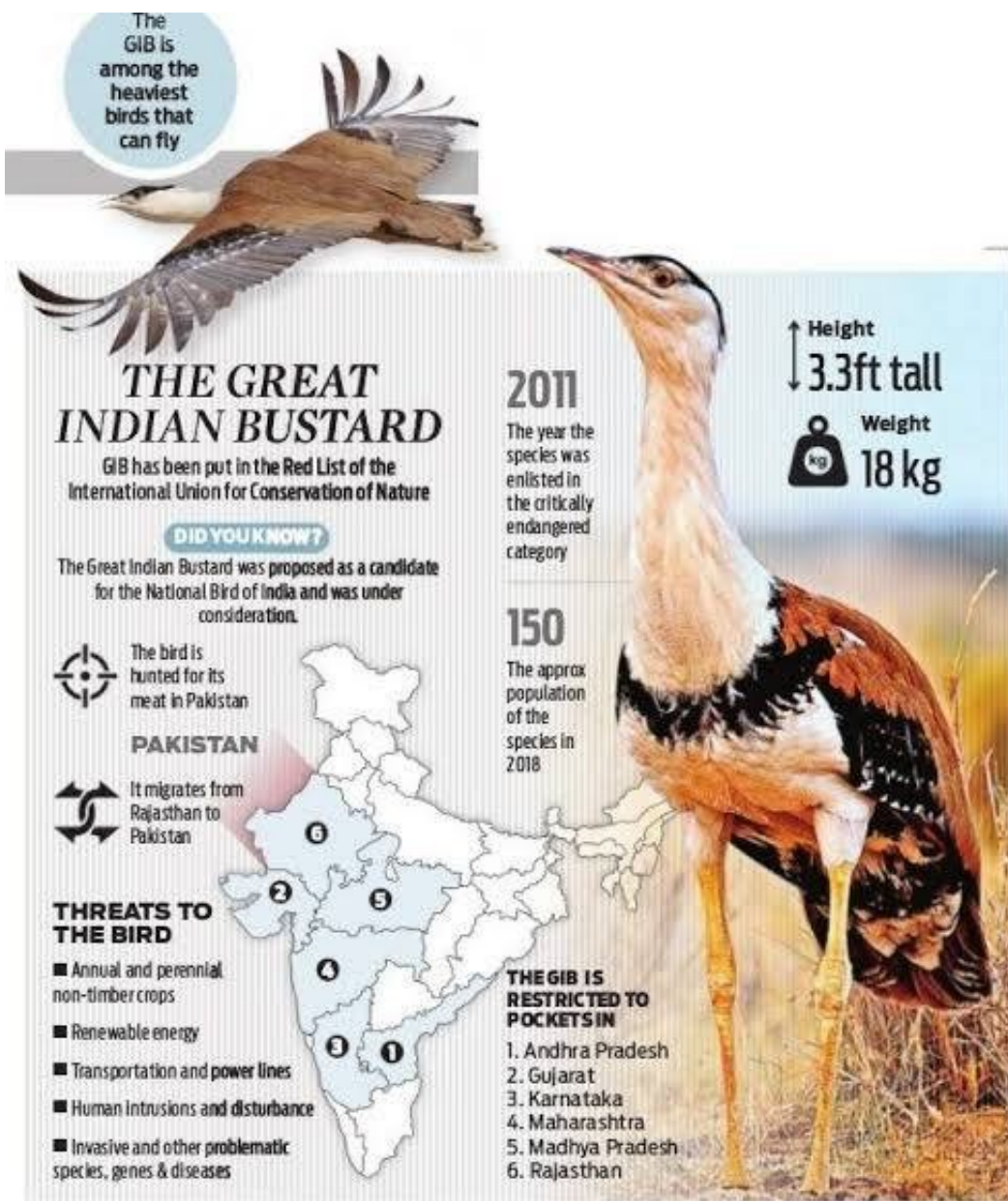
चर्चा में क्यों?

हाल ही में [पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय \(MoEFCC\)](#) ने [ग्रेट इंडियन बस्टर्ड \(Great Indian Bustard- GIB\)](#) तथा [लेसर फ्लोरकिन](#) के संरक्षण के अगले चरण के लिये 56 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना में आवास विकास, [सुव-स्थाने संरक्षण](#), संरक्षण प्रजनन केंद्र का निर्माण कार्य पूरा करना, बंदी-प्रजनन पक्षियों को मुक्त करना तथा अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं।
- [राष्ट्रीय CAMPA \(परतपूरक वनरोपण नधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण\)](#) ने [भारतीय वन्यजीव संस्थान \(Wildlife Institute of India's- WII\)](#) के प्रस्ताव की सफारिश शासी निकाय को की थी।
- इस प्रजाति को पुनर्जीवित करने की योजना सर्वप्रथम वर्ष 2013 में [राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी योजना](#) के तहत शुरू की गई थी, जिसने बाद में [2016 में बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट](#) को जन्म दिया।
- बाद में जुलाई 2018 में [MoEFCC](#), [राजस्थान वन विभाग](#) और [WII](#) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- तीनों पक्षों द्वारा संचालित परियोजना के हिससे के रूप में दो [GIB संरक्षण प्रजनन केंद्र](#) और एक [लेसर फ्लोरकिन केंद्र](#) क्रमशः [राजस्थान के सैम, रामदेवरा तथा सोरसन](#) में कार्य कर रहे हैं।
- सैम और रामदेवरा की टीम ने इस प्रजाति की मूल आबादी (Founder Population) के पुनः वन्यीकरण हेतु वनों से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड/गोडावण के अंडों को एकत्र करके प्रजनन केंद्र में उनका कृत्रिम रूप से ऊष्मायन एवं उद्भवन (Incubated and Hatched) कर संवर्द्धन किया गया।
- वर्तमान में वनों में लगभग 140 GIB और 1,000 से भी कम लेसर फ्लोरकिन शेष हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड



- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (*Ardeotis nigriceps*) राजस्थान का राजकीय पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटापन्न पक्षी माना जाता है।
- यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजातिमानी जाती है, जो चरागाह पारस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है।
- ये अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है।
- सुरक्षा की स्थिति:
- अंतरराष्ट्रीय प्रकृतिसंरक्षण संघ की रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटापन्न
- वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परशिषिट-1
- प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय (CMS): परशिषिट-1
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-1

लेसर फ्लोरकिन (*Sypheotides indicus*)



दृष्टि
The Vision

- यह भारत में पाई जाने वाली तीन स्थानिक बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है, अन्य दो प्रजातियाँ बंगाल फ्लोरकिन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं।
- स्थानीय भाषा में इस पक्षी को 'खरमोर' के नाम से जाना जाता है, जो मोर के मूल शब्द 'मोर' से निकला है।
- यह लुप्तप्राय पक्षी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है।
- संरक्षण की स्थिति:
 - अंतरराष्ट्रीय प्रकृतिसंरक्षण संघ की रेड लिस्ट: संकटग्रस्त
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-1
 - वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परशिष्ट II

<https://www.youtube.com/watch?v=ggavPiG5ccQ>